खण्ड–39, अंक–02
गुरूवार, 01 फाल्गुन, शक संवत्, 1935
(दिनांक 20 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 39 में 02 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
बागबानी मिशन (हार्टिकल्चर मिशन फार नार्थ ईस्ट हिमालयन) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनाओं द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने से प्रबुद्ध जनों में भारी आक्रोश व्याप्त होने सम्बन्धी प्रकरण को नियम–310 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1–5
प्रश्नोत्तर	5–15
बागबानी मिशन (हार्टिकल्चर मिशन फार ईस्ट हिमालयन) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनाओं द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुँचाने से प्रबुद्ध जनों में भारी आक्रोश व्याप्त होने सम्बन्धी प्रकरण को नियम–310 के अन्तर्गत पुनः उठाने का प्रयास	15
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा गया)	16
जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	16
जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में बेस हॉस्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	16
वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध जाँच आख्या प्रस्तुत न होने पर सरकार को निर्देशित करने की मांग...	17
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश	17–18
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	18
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	19–20
उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 ...	20–22
उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014	22–23

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014	24–25
वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किये जाने विषयक संकल्प पर चर्चा जारी	26
राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ किये जाने विषयक नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा जारी	26
उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली में संशोधन हेतु इण्डियन मेडिकल ऐसोसियेशन स्टेट ब्रांच द्वारा शासन के समक्ष प्रस्तुत सुझाव पर कार्यवाही नहीं होने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी...	26
जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी ...	26
राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनाये जाने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी	26
जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी ...	27
महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी... ...	28–29
प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी	29
उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा किये जाने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी	29–30

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	30
तहसील विकासनगर के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	30–31
विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न खतरों के संबंध में श्री संजय गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	31
जनपद देहरादून के विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर ओवरहैड टैंक बनाने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	31–32
प्रदेश में बी0एड0, बी0पी0एड0 व योग प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	32–33
सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	33
राष्ट्रगान	33–34
नत्थियां	35–36

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री गणेश जोशी
9–श्री चन्दन राम दास
10–श्री चन्द्र शेखर
11–डा0 जीतराम
12–श्री तीरथ सिंह
13–श्री दलीप सिंह रावत
14–श्री दान सिंह भण्डारी
15–श्री दिनेश अग्रवाल
16–श्री दिनेश धनै
17–श्री नवप्रभात
18–श्री नारायणराम आर्य
19–श्री पुष्कर सिंह धामी
20–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
21–कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
22–श्री प्रीतम सिंह
23–श्री प्रीतम सिंह पंवार
24–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
25–श्री प्रेम सिंह
26–श्री फुरकान अहमद
27–श्री मनोज तिवारी
28–श्री मयूख सिंह
29–श्री महावीर सिंह
30–श्री माल चन्द
31–श्री यतीश्वरानन्द
32–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
33–श्री राजकुमार
34–श्री राजेश शुक्ला
35–श्री ललित फर्स्वाण
36–श्री विक्रम सिंह नेगी
37–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
38–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
39–श्री विशन सिंह चुफाल
40–श्री संजय गुप्ता
41–श्री सरवत करीम अंसारी
42–श्रीमती सरिता आर्या
43–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
44–श्री सुबोध उनियाल
45–श्री सुन्दर लाल मंद्रवाल
46–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
47–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
48–श्री हरबन्स कपूर
49–श्री हरभजन सिंह चीमा
50–श्री हरिदास
51–श्री हरीश धामी
52–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
53–श्री हेमेश खर्कवाल

गुरूवार, दिनांक 20 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये। कुछ माननीय सदस्य अपने हाथ में तख्ती पर नारे लिखे हुए लहरा रहे थे और अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)(व्यवधान)

बागबानी मिशन (हार्टिकल्चर मिशन फार नार्थ ईस्ट हिमालयन) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनाओं द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुँचाने से प्रबुद्ध जनों में भारी आक्रोश व्याप्त होने सम्बन्धी प्रकरण को नियम–310 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, कल हमने जो नियम–310 में सूचना दी थी, वह सूचना आप ले लीजिए, क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, एक के बाद एक परत–दर–परत मामले खुलते जा रहे हैं। यह मामला हल्का–फुल्का नहीं है। सदन में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमने नियमानुसार लिया है, अगर लिया है तो उसमें बहस हो जाये, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम–58 में ले लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें बहस हो जानी चाहिए और इसके बाद जो मामला है वह साफ़ हो जाना चाहिए कि यहाँ के जो गरीब किसान बागबानी करते हैं या बागबान बनाते हैं, उनके लिए जो पैसा आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी नियम–310 की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या कोई मंत्री उसको ले सकता है? क्या उसके द्वारा मिली सब्सिडी को वह खा सकता है, ले सकता है, प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है ?

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें जब बहस होगी तो सारी चीजें सामने आ जायेंगी। यह सी0बी0आई0 इन्क्वायरी से कम की बात नहीं है, यह सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है, यह 13 जिलों की बात है। इसमें सी0बी0आई0 इन्क्वायरी हो और तब तक माननीय मंत्री जी को दूर रहना चाहिए और यहाँ से अपना इस्तीफा देना चाहिए और सदन में कहना चाहिए कि जाँच के बाद हम साफ बाहर आयेंगे। अगर हम गलत होंगे तो यहाँ आ के बात करेंगे और बहस में बात आयेगी। मान्यवर, इसमें जाँच होनी चाहिए। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि यह कोई छोटा मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

इसको नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब यह नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनने के बाद खारिज हो गया। आपने–310 में आपदा को सुना था, उसके बाद आपने जो डायरेक्शन दिये थे, वह आपने बड़े डायरेक्शन दिये थे। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज कहा है कि इसमें सरकार के खिलाफ अविश्वास होता है, यह अविश्वास नहीं होता है, इसमें सरकार कहीं नहीं जाती है, इसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। यह तो 310 एक चर्चा के लिए है, गलत मैसेज जो सरकार की तरफ से आ रहा है कि कल ही तो हमने विश्वास मत प्राप्त किया है, आज लेने की क्या जरूरत है। इसमें कौन सी वोटिंग होने जा रही है, कौन सी सरकार गिरने जा रही है। लेकिन जो यह मामला आया है इसको पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। इसमें अगर मंत्री जी पर गलत ब्लेम है तो वह ब्लेम भी यहाँ धुल जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में आपकी बात आ जायेगी और उस पर सरकार का जवाब भी आ जायेगा। उसके बाद जो निर्णय होना है, वह हो जायेगा। इसको 310 में नहीं लिया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब तक इसमें सी0बी0आई0 इन्क्वायरी नहीं होती है, तब तक यह मामला तो खुलेगा ही नहीं। यह तो इतना बड़ा मामला है, आखिर मंत्री जी कह रही हैं कि हम 65 साल से यहाँ के किसान हैं, इसको लेना हमारा हक है, हम ले सकते हैं। किसी भी मंत्री को जो उस डिपार्टमेंट में होता है, उस डिपार्टमेंट से या अन्य कहीं भी होता है, वहाँ पर से भी मंत्री बनने के बाद रिजाईन देना पड़ता है। अपना लाभ लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए यह मामला कोई हल्का–फुल्का नहीं है कि इसको हम बहुत हल्के में ले लें, इसको पूरा प्रदेश देख रहा है। अगर मंत्री होकर हम सब्सिडी लेंगे तो वह गरीब किसान क्या करेगा और लोग क्या करेंगे। जो लोग लाखों में इनकमटैक्स

दे रहे हैं और जिनकी इनकम अरबों में है। अगर यह बात यहाँ होती रहेगी तो यह प्रदेश कैसे चल पायेगा। इसलिए यह छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसको सुनें, इससे न तो सरकार गिर रही है न सरकार पर कोई परेशानी आने वाली है, न कोई अविश्वास सरकार पर किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक निर्णय दे चुका हूँ कि नियम–310 की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुना जायेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने स्थान पर बैठें और आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आखिर सरकार को इसमें दिक्कत क्या है। हम आपकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कुछ परम्परायें हैं, उसको आप भी मानते हैं, नियम–310 की सूचना कभी भी नहीं ली जाती है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् अपने–अपने स्थान पर खड़े थे।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसमें हमने विशेष कारण से, केवल दैवीय आपदा वाला लिया था। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि मंत्री–परिषद के एक मंत्री पर सीधे बात आ रही है और वह अपनी बात को स्वीकार भी कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हम भी किसान हैं, हम ले सकते हैं। इससे विशेष कारण और क्या हो सकता है? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, नियम–58 में सब बात आ जायेगी और उसमें सरकार का उत्तर भी आ जायेगा। हाउस की कार्यवाही को चलने दें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें सारा सदन चर्चा करना चाहता है और जनप्रतिनिधि कानून 1951 के आधार पर यह एक करेप्ट प्रेक्टिस में आता है, अपने लोगों को लाभ देना, अपने रिश्तेदारों को लाभ देना और अपने घर वालों को लाभ देना। इसलिए मैंने कहा है कि

आप नियम–58 में कुछ भी करें, लेकिन हमारी मांग है कि सी0बी0आई0 से जांच करायी जाय और माननीय मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और मंत्री जी को पूरे प्रदेश को कहना चाहिए कि जब तक इसमें हम निष्कलंक नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं मंत्री–मण्डल का पद नहीं लूँगी या जो भी मंत्री हो और मंत्री जी को यहाँ पर एक उदाहरण भी रखना चाहिए। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, सरकार के लोगों को एक उदाहरण यहां पर रखना चाहिए। इसलिए यह एक हल्का–फुल्का मामला नहीं है। हम इसमें इतना कह रहे हैं कि अगर कोई मंत्री अपने घर वालों को या परिवार वालों को लाभ देगा तो यह बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया आप बैठ जायं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित प्रश्न संख्या:01 पुकारे जाने पर।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आज अल्पसूचित में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है परन्तु मुझे लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष इस प्रश्न को सुनना नहीं चाहते हैं। इस अल्पसूचित प्रश्न को भाजपा के माननीय साथी सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अनुसूचित जातियों के प्रति इन लोगों की क्या नीति है वह इस प्रश्न के माध्यम से उजागर होता है? इसलिए ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। (मेज की थपथपाहट) इसलिए मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह बैठकर शान्ति से हमारी बात को सुनें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे लगता है शायद कई लोगों के और भी उद्यान हैं और ऐसा लग रहा है कि इसमें और लोगों ने भी सहायता ली है। इसमें सरकार के कई लोग शामिल हैं और सत्ता पक्ष के लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं और यह मामला दबेगा नहीं। (कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, अपने साथियों को बैठने को कहें। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सोची–समझी रणनीति के तहत जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग हल्ला–गुल्ला कर रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षाधिकारी, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सुरक्षा अधिकारी, विधानसभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12:45 तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

अनुसूचित जाति का जनपदवार विवरण तथा उपयोजना हेतु वर्ष 2007–2013 तक स्वीकृत धनराशि

1. श्री नवप्रभात–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति का जनपदवार विवरण क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक जनपदवार कितनी धनराशि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत की गयी है?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

विवरण संलग्नक–1 † पर है।

विवरण संलग्नक–2 † पर है।

नोट–उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

† (देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 35–36 पर)

तारांकित प्रश्न

*1—श्री मदन कौशिक—

स्थगित।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत जल आपूर्ति हेतु नलकूप का जीर्णोद्धार

1—श्री आदेश चौहान—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बहादराबाद के नलकूप नं0 2 से जल आपूर्ति बन्द हो गई है जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पेयजल नलकूप के जीर्णोद्धार की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बहादराबाद ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत स्थापित नलकूपों से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त शिक्षण सामग्री, वर्दी तथा निःशुल्क पाठ्य सामग्री

2—हाजी सरवत करीम अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त शिक्षण सामग्री, वर्दी, निःशुल्क पाठ्य सामग्री दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। परन्तु मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त शिक्षण सामग्री एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क गणवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट से पूर्व मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। शेष सुविधाओं हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2014–15 में प्रस्ताव किया जा रहा है। भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर उक्त सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों की संख्या एवं स्थानान्तरण में छूट का प्राविधान

3–हाजी सरवत करीम अन्सारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन) के शिक्षा विभाग में प्राथमिक/माध्यमिक में कुल कितने शिक्षक कार्यरत् हैं?

क्या मंत्री जी उक्त सभी शिक्षकों एवं विगत 05 वर्षों में प्रदेश में दुर्गम से सुगम में कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों का शिक्षा नीति के अनुरूप स्थानान्तरण हुआ है, का विवरण सदन के पटल पर रखेंगें?

क्या सरकार अल्पसंख्यक वर्ग की स्थानान्तरण नीति में छूट प्रदान करने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

यद्यपि धार्मिक आधार पर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं किन्तु प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 621 एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 477 अर्थात् कुल 1098 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं।

धार्मिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानान्तरण सेवा शर्तों का एक भाग है, जिसमें किसी के साथ भी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

जनपद हरिद्वार में आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या एवं महिलाओं के कल्याण हेतु धनराशि

4–हाजी सरवत करीम अन्सारी–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में आंगनबाड़ी के कुल कितने केन्द्र स्थापित हैं ?

तथा वर्ष 2013–14 में प्रति केन्द्र पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि महिलाओं के कल्याण हेतु प्रदान की गयी है?

क्या सरकार उक्त केन्द्रों को निर्गत की गयी धनराशि को वापस लेकर ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से राशन वितरण करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो सम्बन्धित शासनादेश सदन के पटल पर रखेंगे?

महिला एवं बाल विकास एवं पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जनपद हरिद्वार में 2762 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 38 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

वर्ष 2013–14 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु अनुपूरक पोषाहार के लिये कुल रू0 2793.98 लाख की धनराशि जनपद स्तर पर व्यय हेतु जारी की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना का विवरण

5–हाजी सरवत करीम अन्सारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कितने मदरसों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मदरसों के आवेदन विचाराधीन हैं?

सरकार विचाराधीन मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ करने पर शीघ्र विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड मान्यता प्राप्त किसी भी मदरसे में मध्याह्न भोजन योजना संचालित नहीं की जा रही है, परन्तु पूर्व से राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 04 मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जनपद हरिद्वार के 27 मदरसों को मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जी हाँ।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चम्पावत में शिक्षा विभाग में डी0पी0ई0पी0 एवं सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का नियमितीकरण

6–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बनाने का कष्ट करेंगे कि जिला चम्पावत के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत एवं वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विगत 13 वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश सं0–339/XXIV(1)/2012–56/2005 दिनांक 18.06.2012 द्वारा स्पष्ट है कि ऐसे पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिक शिक्षा विभाग के ढांचे के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस कारण इन कार्मिकों का विनियमितीकरण किया जाना सम्भंव नहीं है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत पर्यटन विभाग के माध्यम से पुरूकुल से हाथीपांव तक रोप–वे का निर्माण

07–श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुरूकुल से हाथीपांव तक रोप–वे के निर्माण की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना में क्या प्रगति हुई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना पर कार्य करने हेतु विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

वर्तमान में पुरूकुल गांव से हाथीपांव तथा हाथीपांव से लाइब्रेरी तक रोप–वे योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही गतिमान है:–

1– वन भूमि में वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया।

2– नगर पालिका परिषद मसूरी की लाईब्रेरी प्वाइंट पर स्थित 4.25 एकड़ भूमि, जिसे नगर पालिका परिषद द्वारा पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही।

3– पुरूकुल गाँव स्थित उद्योग विभाग की 4 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही।

4– क्यारकुली व पुरूकुल गांव में निजी वन भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही।

उक्त के अतिरिक्त रोप–वे परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव आवास विभाग के अधीन विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त योजना को पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत चामासारी में जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार

8–श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र चामासारी की जनसंख्या लगभग 380 है, में 6–14 आयुवर्ग के लगभग 40 बालक/बालिकायें प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण शिक्षा से वंचित हैं?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि पूर्व में ग्राम पंचायत चामासारी द्वारा 08 नवम्बर, 2010 को विद्यालय के निर्माण हेतु ग्राम सभा की भूमि का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चामासारी बस्ती मोटीधार में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ, परन्तु छात्र शिक्षा से वंचित नहीं हैं।

जी हाँ।

वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्य योजना में विद्यालय निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया परन्तु भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना में पुनः प्रस्तावित है।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य गठन से आज तक प्रदेश में इंटर स्तर तक विद्यालयों का उच्चीकरण तथा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का विवरण

9–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त से आज समय तक प्रदेश में कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है तथा उनका जिलेवार विवरण क्या है?

क्या इन सभी विद्यालयों में पद सृजित कर मानकानुसार शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान कर शिक्षा दी जा रही है?

यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। 551 विद्यालयों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण/स्थापना की गयी है।

67 विद्यालयों को छोड़कर शेष 484 विद्यालयों में पद सृजित किये गए हैं। इन 484 विद्यालयों में से 403 विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की गई है तथा वर्तमान में उच्चीकृत 81 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। शेष विद्यालयों में पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल जनपद अन्तर्गत भीमताल स्थित उच्चीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति

10–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल जिले की भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उच्चीकृत विद्यालयों को वित्तीय मान्यता एवं पद स्वीकृत कर शीघ्र विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

11–श्री दान सिंह भण्डारी–

चतुर्थ सोमवार के अता0–02 में स्थानान्तरित।

प्रदेश में विद्यालयों के उच्चीकरण की योजना

12–श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों का उच्चीकरण करने की योजना है?

यदि हाँ, तो कितने विद्यालय उच्चीकरण की योजना में हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

दिसम्बर, 2013 से 18 फरवरी, 2014 तक कुल 146 विद्यालयों का उच्चीकरण प्रस्तावानुसार किया गया है। मानकानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय का उच्चीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की योजना

13.श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो ऐसे कितने विद्यालय प्रान्तीयकरण हेतु हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

21 जूनियर हाईस्कूल, 04 हाईस्कूल तथा 03 इण्टर कॉलेज के प्राप्त प्रस्तावों पर प्रान्तीयकरण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत मोत्यूराज पेयजल योजना का पुनर्गठन पर विचार

14–श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मोत्यूराज पेयजल योजना कब निर्मित हुई थी?

क्या योजना को पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मोत्यूराज पेयजल योजना 1990 में निर्मित हुई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वैप पद्धति के अन्तर्गत ग्रमीण पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता उपसमिति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण/पुनर्गठन किया जाता है।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत ग्राम पंचायत कायल में जूनियर हाईस्कूल खोला जाना

15—श्री पूरन सिंह फर्त्याल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कायल में जूनियर हाईस्कूल न होने से बच्चों को कई कि0मी0 दूर तक यात्रा कर आठवीं तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र—छात्राओं की समस्या के निदान हेतु ग्राम पंचायत कायल में जूनियर हाईस्कूल बनायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी हाँ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा का उच्चीकरण

16—श्री गणेश जोशी—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्ड़ा को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव पूर्व में शासन को प्रेषित किया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 12:45 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

बागबानी मिशन (हार्टिकल्वर मिशन फार ईस्ट हिमालयन) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनाओं द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने से प्रबुद्ध जनों में भारी आक्रोश व्याप्त होने सम्बन्धी प्रकरण को नियम–310 के अन्तर्गत पुनः उठाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो 310 की सूचना दी है, मैं पुनः कहना चाहता हूँ, यह हल्का–फुल्का मामला नहीं है। यह बहुत बड़ा मामला है, इसमें सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह पूरे उत्तराखण्ड का मामला है, अभी तो एक जिले का मामला सामने आया है। शेष जो 12 जिले हैं, उनकी भी यही हालत है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसको 310 में सुनकर पूरे प्रदेश को एक संदेश दीजिएगा, जो भी इस प्रदेश में गलत काम करेगा, वह बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही होगी, क्योंकि यह प्रदेश किसी एक का नहीं है। सारे लोगों का यह प्रदेश है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है इसलिए सत्ता पक्ष को भी आप मजबूर करिए कि वह नैतिक जिम्मेदारी को निभाए और इस प्रदेश की जो परिसम्पत्तियाँ हैं, सम्पत्तियाँ हैं, उनको खुर्द–बुर्द नहीं किया जा सकता है। जो अनुमन्य लोगों के लिए लाभ लिए गए हैं, चाहे केन्द्र के हैं या कहीं के हैं, उन्हीं को मिलने चाहिए, जो अनुमन्यता नहीं रखते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए और नैतिक दायित्व भी होता है। जबरदस्ती कोई मिनिस्टर अपने विभागों का लाभ नहीं ले सकता है और तो और यदि वह किसी विभाग का लाभ लेने की स्थिति में है, वह भी उसको छोड़ना पड़ता है। यह नियमावली में लिखा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, यह मामला छोटा मामला नहीं है, यह बहुत बड़ा मामला है इसलिए इस मामले को लेने की कृपा करें और 310 में इसको जरूर सुनें। पूरा प्रदेश देख रहा है, ट्रेजरी बैंच अपनी बात पर अड़ी हुई है और हमारी बात सरकार मान नहीं रही है। इसका निपटारा होना ज़रूरी है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4, माननीय वित्त मंत्री।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में पॉलिटैक्निक शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीत राम–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में पॉलिटैक्निक शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह रावत, निवासी–ग्राम कण्डारा, किमोली, जनपद–चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में बेस हॉस्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 जीत राम–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में बेस हॉस्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री महेश खण्डूड़ी, निवासी–सिमली रोड़, कर्णप्रयाग, जनपद–चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मद संख्या–8

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री राजकुमार का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी याचिका उपस्थित करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध जाँच आख्या प्रस्तुत न होने पर सरकार को निर्देशित करने की मांग

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा दिनाँक 20 जनवरी को विनिश्चय दिया गया था कि 3 सप्ताह के अन्दर वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरूद्ध जाँच करके उसकी आख्या प्रस्तुत की जाय लेकिन मान्यवर, 4 सप्ताह से ऊपर का समय हो गया है, अभी तक आख्या प्रस्तुत नहीं हुई है। कृपया इस विषय पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

सरकार एक हफ्ते के अन्दर जो निर्देश पूर्व में दिये गये हैं, उसके अनुसार कार्यवाही करे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश।

श्री अध्यक्ष:–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 20 फरवरी, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है।

फरवरी, 2014

20 गुरूवार।

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
3. उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (20 मिनट)

4. उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।

(20 मिनट)

शेष कार्यकम यथावत् रहेंगे

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1–श्री माल चन्द 2–श्री चन्दन राम दास 3–श्रीमती विजय बड़थ्वाल 4–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री दान सिंह भण्डारी एवं श्री चन्दन राम दास 5–श्री हरबन्स कपूर 6–श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक एवं श्री यतीश्वरानन्द 7–श्री यतीश्वरानन्द 8–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 9– श्री महावीर सिंह रांगड़ 10–श्री विशन सिंह चुफाल 11–श्री संजय गुप्ता तथा 12–श्री दलीप सिंह रावत की कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री माल चन्द 2–श्री चन्दन राम दास, 3–श्री हरबन्स कपूर 4–श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक एवं श्री यतीश्वरानन्द तथा 5–श्री संजय गुप्ता की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूंगा, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री माल चन्द, श्री चन्दन राम दास, श्री हरबन्स कपूर, श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री संजय गुप्ता का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े नहीं हुये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–12, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–वर्ष 2014)

(भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 62 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 62 में निम्नवत एक परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात–

"परन्तु यह कि प्रथम कुलपति का कार्यकाल विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा"।

निरसन एवं व्यावृत्ति 3. (1) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (अध्यादेश संख्या 5 वर्ष 2013) एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 12, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या...........सन् 2014)

उत्तराखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि की जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था के लिये

विधेयक

चूँकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) द्वारा राज्यों के विधान मण्डल को अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी शक्ति दी गई है कि वह अपने–अपने राज्य के लिये विधि द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि की व्यवस्था कर सकें

और चूँकि, उत्तराखण्ड राज्य की आकस्मिकता निधि में जमा धनराशि में वृद्धि की व्यवस्था करना समीचीन हो गया है,

अतः भारत गणराज्य के पैसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम किया जाता है–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 2001) की धारा 4 में शब्द "दो सौ" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधेयक संख्या....................वर्ष 2014)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जायः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2014 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा का प्रतिस्थापन 2. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी–

(घ) नाम निर्दिष्ट सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किये जायेंगे और जिनकी संख्या–

(एक) नगर पंचायत की दशा में, दो से कम और सात से अधिक नहीं होगी,

(दो) नगरपालिका परिषद की दशा में तीन से कम और नौ से अधिक नहीं होगी,

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों में निम्न वर्ग को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा:–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,

(2) महिला,

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग,

(4) अल्पसंख्यक समुदाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014
(विधेयक संख्या....................वर्ष 2014)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 6 का प्रतिस्थापन 2. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (ख) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा, उन व्यक्तियों में से जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या पाँच से अन्यून और चौदह से अनधिक होगी,

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों में निम्न वर्ग को अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा, अर्थात–

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,

(2) महिला,

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग,

(4) अल्पसंख्यक समुदाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खडे नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किये जाने विषयक संकल्प पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ किये जाने विषयक नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली में संशोधन हेतु इण्डियन मेडिकल ऐसोसियेशन स्टेट ब्रान्च द्वारा शासन के समक्ष प्रस्तुत सुझाव पर कार्यवाही नहीं होने विषयक नियम–54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने विषयक नियम– 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनाये जाने विषयक नियम– 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने विषयक नियम– 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

श्री हरीश धामी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रहा है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री उमेश शर्मा (काऊ) का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित महायोजनाओं में अभी तक कुछ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु महायोजना न बनाये जाने तथा महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन विषयक नियम– 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है। पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया है:–

1.मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5.चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है। अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू–उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं। महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू–उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बन्धी।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने विषयक नियम– 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे। माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल की सूचना को माननीय सदस्य श्री नवप्रभात द्वारा प्रस्तुत किया गया।)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने सम्बन्धी।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा किये जाने विषयक नियम– 54 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर चर्चा जारी

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तराखण्ड राज्य में "ईको सेंसटिव जोन" को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाय।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री उमेश शर्मा (काऊ) का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' से पूर्ववत् अपनी बात उठाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री भीम लाल आर्य, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजेश शुक्ला, श्री प्रेम सिंह राणा, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री नवप्रभात की कुल 09 सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो विधान सभा सल्ट के अन्तर्गत सदर क्वैरला, स्याल्दे व मछोड़ में आई0टी0आई0 भवनों के हस्तांतरण एवं ट्रेड्स बढ़ाने के सम्बन्ध में है तथा माननीय सदस्य श्री नवप्रभात की सूचना जो जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर जैनरेटरों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है, पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

तहसील विकासनगर के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर में दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत 18 क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षा कार्यों के पुनर्निर्माण की योजनाऐं ₹ 199.60 लाख तैयार कर सिंचाई विभाग द्वारा आपदा मद में स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, देहरादून को प्रेषित की गयी थी, जिसमें से दो योजनाओं क्रमशः जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड के ग्राम शेरपुर की कालूरावा नाले से बाढ़ सुरक्षा का कार्य (बांये किनारे के कि0मी0 0.000

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से कि0मी0 0.200) (लागत ₹ 8.90 लाख) व जनपद देहरादून के विकासनगर विकासखण्ड के ग्राम शेरपुर की बांयी ओर की बस्ती का भूलराव नाले से बाढ़ सुरक्षा का कार्य (लागत ₹ 8.53 लाख) पर क्रमशः धनराशि ₹ 4.93 लाख व ₹ 3.41 लाख स्वीकृत किये गये हैं। उक्त योजनाओं के सापेक्ष क्रमशः धनराशि ₹ 2.95 लाख व ₹ 2.04 लाख प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुई है, जिसका पूर्ण व्यय किया जा चुका है, शेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त की जानी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उक्त दोनों कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 16 संख्या योजनाओं की स्वीकृति एवं धनावंटन होने के उपरान्त कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।]

विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में ग्राम दरगाहपुर एवं केहड़ा में विद्युत लाईन के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया था तथा ग्राम गंगदासपुर, महाराजपुर कलां, झीवरहेड़ी एवं केहड़ा में विद्युत तारों को बदलने एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रणाली सुधार मद में स्वीकृत है। सम्बन्धित क्षेत्र का दिनांक 11.02.2014 को निदेशक (परिचालन) एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया तथा इस कार्य के लिए एक योजना बनाई गयी है, जिसके अन्तर्गत सही एल0टी0 लाईनों में स्पेशर लगाने का कार्य एवं जीर्ण–शीर्ण लाईनों के स्थान पर एरियल बन्च केबिल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।]

जनपद देहरादून के विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर ओवर हैड टैंक बनाने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर में लक्ष्मीपुर, ढकरानी, पुलपार नवाबगढ़, सैयद मार्ग एवं केदारावाला में पेयजल नलकूपों पर ओवर हैड टैंक निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु प्रस्तावित प्राक्कलनों के परीक्षणोपरान्त क्रमशः ₹ 66.36 लाख, ₹ 60.29 लाख, ₹ 85.86 लाख, ₹ 68.39 लाख एवं ₹ 26.68 लाख अर्थात् कुल ₹ 307.58 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 154.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या 1341/उन्तीस (2)/13–2 (115पे0)/2012 दिनांक 27.11.2013 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त योजनाओं के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा संशोधित दरों पर गठित आगणन शासन में प्राप्त हुये हैं, संशोधित आगणनों पर परीक्षणोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जायेगी।]

प्रदेश में बी0एड़0, बी0पी0एड0 व योग प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत "योग एवं शारीरिक शिक्षा" अनुदेशकों के पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

वर्तमान में प्रवक्ता संवर्ग में 1213 पदों का लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड को अधियाचन भेजा गया है। जिसके द्वारा चयन की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। एल0टी0 संवर्ग के (हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेज में संचालित कक्षा–6,7 व 8 हेतु) एन. सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार बी0एड0 के साथ टी0ई0टी0 द्वितीय की अर्हता अनिवार्य की गयी है। जिसके अनुपालन में एल0टी0 संवर्ग की सेवा नियमावली संशोधित करने की प्रक्रिया गतिमान है। सेवा नियमावली के संशोधन के उपरान्त स0अ0 स्नातक वेतन क्रम 3976 पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों पर डी0पी0एड0/बी0पी0एड0 प्रशिक्षितों की नियुक्ति एल0टी0 शिक्षकों की भर्ती के साथ ही की जायेगी।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना आई है जो बैंक से संबंधित है, जो बैंक से ऋण लिये गये हैं, उसके ऋण वसूली और ब्याज माफ के संबंध में है इसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखण्ड में पी0सी0सी0एफ0 का पद वन विभाग में रिक्त है, यह सबसे सीनियर अधिकारी का पद है। मान्यवर, यह पद 31 जनवरी से रिक्त है,

---

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तीन सप्ताह हो चुके हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि तीन दिन के अन्दर आप डी0पी0सी0 तय करा दें तो उसमें अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है। इसके लिए मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ।

सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ 01 बजकर 03 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,

दिनांकः 20 फरवरी, 2014

जगदीश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–5 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 हेतु निर्धारित माननीय सदस्य विधान सभा, श्री नवप्रभात द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर

संलग्नक–1

क्रम सं0	जनपद का नाम	जनसंख्या
1.	पौड़ी गढ़वाल	122361
2.	टिहरी गढ़वाल	102130
3.	चमोली	79317
4.	रुद्रप्रयाग	47679
5.	उत्तरकाशी	80567
6.	देहरादून	228901
7.	हरिद्वार	411274
8.	नैनीताल	191206
9.	अल्मोड़ा	150995
10.	पिथौरागढ़	120378
11.	बागेश्वर	72061
12.	चम्पावत	47383
13.	ऊधमसिंह नगर	238264
	योग	1892516

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 हेतु निर्धारित माननीय सदस्य विधान सभा, श्री नवप्रभात द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर

संलग्नक–2

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
1.	पौड़ी	35.97	0	140.59	38.47	38.46	0
2.	टिहरी	289.83	115.12	0	38.46	38.46	85.86
3.	चमोली	224.16	0	89.04	38.46	38.46	.0
4.	रुद्रप्रयाग	133.79	53.14	0	38.46	38.46	0
5.	उत्तरकाशी	223.92	88.94	0	38.46	38.46	190.44
6.	देहरादून	575.66	228.64	0	38.46	38.46	327.74
7.	हरिद्वार	1042.07	413.89	0	38.46	38.46	1709.38
8.	नैनीताल	491.81	195.34	0	38.47	38.48	0
9.	अल्मोड़ा	466.08	185.12	0	38.46	38.46	20.02
10.	पिथौरागढ़	353.30	140.32	0	38.46	38.46	108.28
11.	बागेश्वर	214.15	85.06	0	38.46	38.46	18.94
12.	चम्पावत	126.44	50.22	0	38.46	38.46	50.71
13.	ऊधमसिंह नगर	540.26	0	214.58	38.46	38.46	488.33
	योग	5035.44	1555.79	444.21	500.00	500.00	2999.70

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा / 251–15–10–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।